

15-11-19

वकील प्राची उपरिचल। हमने वकील प्राची के प्राचीना पत्र पर विस्तार से सुना तथा राजस्व अपील संख्या 1/2018 दिनांक 29-10-2018 का अपील किया तथा मूल राजस्व अपील का अदम हाजरी एवं अदम पेशी में खारिज की गई थी। जिस प्राची मनसुब कर कर पुनः राजस्व अपील संख्या को गुणाबशुव पर निबंध करवाना चाहते हैं। प्राचीना पत्र में बतलाने वाली पर सहाय्य पूर्वक विचार किया गया तथा राजस्व अपील पुनः बराबद किया जाकर दर्ज रजिस्टर किया जावे। तथा राजस्व प्राचीना पत्र न्यायहित में हरी कर किया जाता है। अदम सुनाया गया फावली फैसल सुमार होकर दारिबल देफालर हो।

सहायक सचिव
 राजस्व विभाग
 जयपुर